

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 30 September 2026

क्या है सरकार की नई E-Zero FIR प्रणाली ? जानिए साइबर ठगी पर कैसे लगेगा फौरन लगाम ।

Publisher

Published on 22 May 2025



साइबर ठगों पर लगेगी लगाम, सरकार ने लॉन्च किया नया E-Zero FIR सिस्टम ।

नई दिल्ली: देश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक नया और आधुनिक कदम उठाया है । इसका नाम है **E-Zero FIR प्रणाली**, जिसे फिलहाल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है । यह प्रणाली खासतौर पर उन मामलों के लिए है, जिनमें **10 लाख रुपये** से अधिक की साइबर धोखाधड़ी हुई हो ।

1930 या NCRP पर दर्ज शिकायतें सीधे बनेगी FIR

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब अगर कोई व्यक्ति **1930 हेल्पलाइन नंबर** या **नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)** पर **10 लाख रुपये** से अधिक की साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करता है, तो वह स्वचालित रूप से **Zero FIR** में बदल जाएगी ।

यह **FIR दिल्ली के E-Crime** पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होगी । फिर इसे संबंधित राज्य या शहर के साइबर थाने को डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा ।

जांच और कार्रवाई में आएगी तेजी

केंद्रीय गृह मंत्री **अमित शाह** ने इस प्रणाली की घोषणा करते हुए कहा:

“अब कार्रवाई में देरी नहीं होगी । यह प्रणाली न केवल शिकायतकर्ता को त्वरित न्याय देगी, बल्कि साइबर अपराधियों पर समय रहते

शिकायत करने में भी मददगार होगी । ”

Zero FIR से Regular FIR में तब्दील करने का प्रोसेस

एक अधिकारी ने बताया कि: शिकायतकर्ता को तीन दिन के भीतर संबंधित साइबर थाने में जाकर **Zero FIR को Regular FIR** में बदलवाना होगा । यह पूरी प्रक्रिया **I4C (Indian Cyber Crime Coordination Center)**, दिल्ली पुलिस, और **NCRB (Crime and Criminal Tracking Network)** के नेटवर्क से जुड़ी हुई है ।

किस कानून के तहत लागू हुई यह पहल ?

यह पहल **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS)** की धारा **173(1)** और **173(1)(ii)** के तहत लागू की गई है । इसका मकसद है कि:

१. पीड़ितों को न्याय जल्द मिले ।
२. वित्तीय नुकसान की भरपाई जल्द की जा सके ।
३. दोषियों को जल्द सजा मिले ।

जनता को क्या मिलेंगे फायदे ?

१. शिकायत तुरंत **FIR** में बदलेगी ।
२. जांच में देरी नहीं होगी ।
३. ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल सबूतों की जांच तेज़ होगी ।
४. राज्यों के बीच समन्वय बेहतर होगा ।
५. पीड़ित को आर्थिक राहत मिलने की संभावना बढ़ेगी ।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.